न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 19/2017 **दायरा दिनांक : 16.01.2017**

उनवान

1— लक्ष्मीनारायण आत्मज रामा, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— हीराबाई पत्नी रामा, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— बजरंगलाल आत्मज मोतीलाल, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— जतनबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— भंवर लाल आत्मज कान्हा, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— परमानन्द आत्मज कान्हा, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— बालचन्द आत्मज चंदर, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— सत्यनारायण आत्मज चंदर, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— रामप्रसाद आत्मज चंदर, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

6— जानीबाई पत्नी चंदर, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

7— न्योदानबाई पत्नी प्रभूलाल, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

8— द्वारकीलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

9— जितेन्द्र कुमार आत्मज प्रभूलाल, जाति मेहर, निवासी चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

10— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमेश सोनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.07.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 136/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण प्रत्यथीगर्ण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में दिनांक 09.05.2016 को राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित करते हुए डिक्री किया, जिस

निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई थी जिसका उद्देश्य पक्षकारान के आपस में समझने पर ही डिक्री जारी करने की संज्ञेयता है । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अनुसरण में पक्षकार के मध्य समझौतों से मामले का निपटाारा कराना होता है इसके लिए न्याय के सिद्धांतों तथा निष्पक्ष व्यवहार को अपनाया जाता है । मौजूदा मामले में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण व वादी अपीलार्थीगण के मध्य ग्राम चोरखेड़ी की आराजी कुल 8 किता कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा का किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजी के सभी खसरा नम्बरान का बंटवारा नहीं किया तथा निर्णय के अनुसरण में जो डिक्री तैयार हुई है जिसमें भी खातेदारान के नाम दर्ज होने से रह गये हैं, कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा में से अपीलार्थीगण 1, 2 व 4 का खाते में दर्ज हिस्से के 5 बीघा 7 बिस्वा आराजी हिस्से में आनी चाहिए थी जो नहीं आका 4 बीघा 8 बिस्वा ही आयी है । इस प्रकार इस निर्णय व डिक्री में अवैधता हो गई है जो कि विधि के उद्देश्य कि विधि से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए के विपरीत हो गया है तथा यह गणितिय गणना के भी विपरीत है इसमें संदिग्धता झलक रही है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपीलार्थीगण पर बाध्यकारी नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपील समय पर पेश करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण समय पर अपील पेश नहीं कर सके, अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने फाईनल डिक्री में त्रुटि की है । अतः फाईनल डिक्री निरस्त की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधिकतम तीन माह में फाईनल डिक्री पुनः निर्णित करें । साथ ही यह निर्देशित किया जाता है कि पूर्ण सावधानी से फाईनल डिक्री में निर्णय पारित करें जिससे पक्षकार को अनावश्यक असुविधा न हों । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा